



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67091

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10741 सन् 2026

गोविंद राजभर एवं अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- राज कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री सुनील कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता को आवेदकों की ओर से, श्री रोशन कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 215 सन् 2025, धाराएँ 103(1), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., पुलिस थाना चितबड़ागाँव, जिला बलिया में विचारण की लंबित अवधि के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना सहित दाखिल किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, जिसमें चार नामित व्यक्तियों पर दिनांक 24.11.2025 को मृतक तथा घायल गोलू को पीटने का आरोप लगाया गया था। तत्पश्चात मृतक रंजीत का 02.12.2025 को निधन हो गया, जिसके उपरांत घायल गोलू ने वर्तमान आवेदकों सहित आठ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृत्युपूर्व परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक को केवल एक सिर की चोट आई थी, यद्यपि आरोप आठ व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जब मृतक को 26.11.2025 को पॉपुलर हॉस्पिटल,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मऊ में भर्ती किया गया था, तो निदान में सड़क दुर्घटना से हुई सिर की चोट दर्ज की गई थी। अतः आवेदकों को पुरानी दुश्मनी के कारण इस प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है, क्योंकि मृत्युपूर्व परीक्षण रिपोर्ट यह नहीं दर्शाती कि मृतक की मृत्यु मृत्यु-पूर्व चोटों से हुई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त मुन्ना राजभर को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 7199 सन् 2026 में दिनांक 12.03.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः आवेदक भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और वे 05.12.2025 से कारागार में बंद हैं। यदि उन्हें जमानत प्रदान की जाती है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का दृढ़तापूर्वक विरोध किया किंतु उक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टि में रखते हुए और विचारण न्यायालयों के समक्ष कारागारों की भीड़भाड़ तथा आपराधिक प्रकरणों की अत्यधिक लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. उक्त अपराध में संलिप्त आवेदकों **गोविंद राजभर एवं बनारसी राजभर** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो-दो प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किए, विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में लिप्त नहीं होगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
8. मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और प्रतिभूतियों की पहचान, प्रस्थिति एवं आवास का प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई एवं संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिन के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को मोचन आदेश प्रेषित करेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के नीति रणनीति अनुदान जमानत, पुनः स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के जरिए आवेदक को प्रेषित की जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।